IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 30, Issue 3, Series 7 (March, 2025) 37-40
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

ग्रामीण अंचल में कोवड 19 के दौर में सकारात्मकता का संचार करती हुयी रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) की भूमिका

डा० सुप्रिया पाण्डेय
असिस्टेण्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)''आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय हर्षनगर, कानपुर''

सारांश– *महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम या जिसे लोकप्रिय रूप से NAREGA के नाम से जाना जाता है, एक रोजगार गारण्टी योजना है जो हर ग्रामीण परिवार को कानूनी अधिकार के रूप में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती है, इस अधिनियम ने ग्रामीण जनता के लिये बुनियादी आय सुरक्षित करते हुये एक कानूनी अधिकार बना दिया, कोविड 19 के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के समय जो ग्रामीण भारत में कामकाजी/जरूरतमंद गरीबों के लिये जीवनरेखा के रूप में सिद्ध हुयी। दो माह से ज्यादा चले लाकडाउन के कारण देश के लाखों मजदूर अचानक बेरोजगार हो गये। इस भयावह स्थिति में मनरेगा एक आशा की किरण बनकर उदीप्त हुयी। इस आकस्मिक कार्यबल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे कम विकसित ग्रामीण इलाकों से शहरों में परिसंचारी प्रवासियों के रूप में आते हैं। जब आकस्मिक रूप में महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी रोजगार अचानक ठप पड़ गये तो इन मजदूरों की वापस एक बार फिर अपने गाँव की ओर लौटना पड़ा। इस समय गाँव में दो पक्ष जीवन रक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे – कृषि और मनरेगा। लॉकडाउन के संशोधित दिशा–निर्देशों के प्रभाव से 20 अप्रैल को मनरेगा में कार्य की अनुमति प्रदान की गयी। मनरेगा के माध्यम से ही शहरों से आये मजदूरों को रोजगार प्राप्त हुआ। उस समय मनरेगा ने अपने एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति की जो अकल्पनीय थी। आपात की स्थिति में सरकार द्वारा बनायी गयी इस महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा ने धरातलीय स्तर पर एक नये आयाम गढ़ दिये। शहरों से निराश लौटे एक व्यापक कार्यबल में इसी रोजगार योजना से एक नयी ऊर्जा का संचार हुआ।*

कीवर्ड– *कोविड 19, लॉकडाउन, रोजगार गारण्टी अधिनियम, बेरोजगारी, महामारी, ग्राम पंचायत, वित्तीय वर्ष, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, प्रवासी।*

Date of Submission: 13-03-2025 Date of Acceptance: 26-03-2025

प्रस्तावना–

11 मार्च 2020 को नोबेल कोरोना वायरस रोग (Covid 19) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा महामारी के रूप में वर्णित किया गया। वैश्विक स्तर पर, Covid-19 ने न केवल सामाजिक रूप प्रभावित किया है वरन् आर्थिक दशा को भी नुकसान पहुँचाया। आय में भारी गिरावट, बेरोजगारी में वृद्धि और परिवहन, सुविधाओं और औद्योगिक क्षेत्र में व्यवधान महामारी रोग के विस्तार की प्रमुख चिंताओं में से है। Covid-19 ने इंसानों के दैनिक जीवन को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। खास तौर पर मजदूर वर्ग एवं दिहाड़ी मजदूरों को संक्रमण से बचाना नितान्त आवश्यक था इसी कारण सरकार द्वारा संभावित खतरे वाले इलाकों में एवं धीरे–धीरे सम्पूर्ण देश में लोगों से घर पर रहने का आग्रह किया गया और लॉकडाउन लगाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया जो संक्रमण के प्रसार को रोकने का एक प्रभावी तरीका था। इस निर्णय के उपरान्त जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुयी उसे भी अनदेखा कर पाना सम्भव नहीं था ऐसी स्थिति में जो दिहाड़ी मजदूर, मजदूर वर्ग अपने गाँव से शहर की ओर रोजगार की तलाश में गये थे उन्हें पुनः वापस गाँव की ओर लौटना पड़ा। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के तहत काम करने में रूची रखने वाले सभी जॉबकार्ड धारक परिवारों में से लगभग 39 प्रतिशत परिवार को कोविड वर्ष 2020–21 में एक दिन भी काम नहीं मिला। इसके अलावा औसतन केवल 36 प्रतिशत परिवारों को 15 दिनों में उनकी मजदूरी मिली, यह अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय द्वारा चार राज्यों के आठ ब्लाकों में 2000 परिवारों के भी एक सर्वेक्षण से

पता चला है, जो नरेगा और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रसार (सीओआरडी) पर नागरिक समाज संगठनों के राष्ट्रीय संघ के साथ साझेदारी में किया गया था।

इन सभी कमियों के बावजूद, अध्ययन में पाया गया कि मनरेगा ने महामारी के दौरान एक उल्लेखनीय बदलाव करते हुये सबसे कमजोर परिवार को आय के महत्वपूर्ण नुकसान से बचाया। मनरेगा से होने वाली आय में वृद्धि ब्लाक के आधार पर आय के नुकसान के 20 से 80 प्रतिशत के बीच की भरपाई करने में सक्षम थी। यह योजना ग्रामीण भारत में लाखों प्रवासियों और अन्य श्रमिकों के लिये आजीविका का मुख्य स्त्रोत बन गयी जिससे उन्हें बहुत जरूरी दैनिक मजदूरी और निर्वाह मिल रहा था। जुलाई के अन्त तक जब रबी फसलों की बुवाई के दौरान कृषि कार्यों में फिर तेजी आई, तब मनरेगा लाभार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी। इस अवधि में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि पिछले कई वर्षों में दर्ज की गयी वार्षिक वृद्धि से अधिक रही है। योजना पोर्टल पर मौजूद डेटा से पता चलता है कि जुलाई 2020 में 2019 के इसी महीने की तुलना में 72 प्रतिशत अधिक परिवारों ने काम की माँग की। जिसमें चालू वित्त वर्ष के सिर्फ साढ़े चार महीनों में ही लगभग 5.53 करोड़ परिवारों ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का लाभ उठाया। इस प्रकार कोविड–19 के समय मनरेगा में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर 2.44 अमेरिकी डालर (182 रूपये) से बढ़ाकर 2.70 अमेरिकी डालर (202 रूपये) कर दी गयी तत्पश्चात् मनरेगा के बजट आवंटन में वृद्धि की गयी।

इस अध्ययन के पहले और दूसरे चरण क्रमशः मई 2020 में तीन महीने के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान सितम्बर 2020 में लॉकडाउन मानदण्डों में ढील दिये जाने के बाद आयोजित किये गये थे। अध्ययन में 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रथम चरण में 1,165 मनरेगा लाभार्थियों और द्वितीय चरण में 1,186 लाभार्थियों को शामिल किया गया। सरकार द्वारा मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने का पूर्ण प्रयास किया गया परन्तु सरकार के लिये यह निर्णय काफी चुनौतीपूर्ण रहा।

साहित्य सर्वेक्षण–

- गाँधी महात्मा ''मेरे सपनों का भारत'' नवजीवन प्रकाशित मन्दिर अहमदाबाद'' 1999 महात्मा गाँधी के चिंतन का केन्द्र बिन्दु गाँव और गरीब रहा है। उनकी ''सर्वोदय'' की संकल्पना और गाँव की ओर लौटो'' की चिंतन दृष्टि सबके विकास का व्यवहारिक विचार प्रस्तुत करती है।''
- एक दशक की उपलब्धि : महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारण्टी अधिनियम 2005 ''ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली'' ''मनरेगा रोजगार सृजन के लिये जमीनी स्तर पर संचालित दृष्टिकोण अपनाकर पहले की कल्याणकारी योजनाओं से अलग है– अधिनियम के तहत कार्यक्रम माँग आधारित है और मामले में अपील के लिये कानूनी प्रावधान प्रदान करते हैं।
- डेज ज्या 2005 ''वायदो का सच'' मनरेगा अधिनियम का विचार नया नहीं है, सरकार तत्काल एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम बनायेगी जिसमें प्रत्येक ग्रामीण शहरी निर्धन तथा मध्यम परिवार के कम से कम सक्षम व्यक्ति को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करेगी। इसके अनुसार यह मजदूरों को भी अपने अधिकारों का कानूनी ज्ञान हो जाता है। वह अपने कर्तव्य के साथ–साथ अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। श्रमिकों को अधिक स्थायीत्व प्राप्त होता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, पलायन वाद में कमी, महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त हुये हैं।

शोध का उद्देश्य– ''कोविड–19 के दौर में मनरेगा द्वारा रोजगारपरक लाभ के विषय में जानकारी प्राप्त करना'' कोविड–19 के समय मनरेगा योजना जीवन रेखा के रूप में कितनी सार्थक सिद्ध हुयी इसकी जानकारी प्राप्त करना।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोध पत्र में इकाई के चयन हेतु निर्दशन पद्धति का प्रयोग किया गया इसके अन्तर्गत उन्हीं इकाईयों को संकलन किया गया जो कोविड–19 के समय (वित्तीय वर्ष 2020–21) में कार्यरत थी। चयनित इकाईयों की वास्तविक समस्या व स्थिति को जानने हेतु उपयुक्त शोध प्ररचना वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया। इकाई के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वैतियक दोनों विधियों का प्रयोग किया गया। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्रित की गयी है।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत शोध पत्र में कानपुर जनपद के ककवन ब्लाक के ग्राम सिहुरा का चयन किया गया। जहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3530 है जिसमें स्त्रियों की संख्यसा 1637 एवं पुरूषों की संख्या 1893 है।

जिसके अन्तर्गत ग्राम में कुल 588 परिवार है। अध्ययन क्षेत्र में ब्लाक से प्राप्त सूचना के आधार पर 155 लोग मनरेगा में कार्यरत है जिसमें पुरूष एवं महिलायें दोनों शामिल हैं– अतः 155 लोगों में से लॉटरी विधि से 30 लोगों का चयन किया जिसमें 21 पुरूष एवं 9 महिलायें हैं।

''कोविड–19 के दौर में मनरेगा रोजगारपरक लाभ के रूप में''

मनरेगा योजना कोविड–19 के समय ककवन ब्लाक के सिहुरा ग्राम में भी रोजगार प्रदान करती रही जिससे शहर से आये दिहाड़ी मजदूरों को जीवन यापन हेतु एक निश्चित मजदूरी प्राप्त होती रही। कोरोना–संक्रमण के बीच लॉकडाउन में हजारो गरीबों के सामने रोजी–रोटी का संकट पैदा होने पर मनरेगा योजना उनके लिये एक बड़ा सहारा बनी।

क्रम सं0	कोविड–19 में रोजगार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	21	70%
2	नहीं	9	30%
योग		**30**	**100%**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जब सहभागी श्रमिक उत्तरदाताओं से इस बिन्दु पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि क्या कोविड–19 के दौर में मनरेगा योजना लाभ परक योजना के रूप में कार्यरत रही तो 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में और 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं में उत्तर दिया जिससे यह स्पष्ट होता है कि महामारी के उस भयावह दौर में मनरेगा योजना से अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ।

कोविड–19 के समय मनरेगा योजना जीवन रेखा के रूप में

कोरोनाकाल में जब बाजार में करोड़ों मजदूरों को बिना मजदूरी घर बैठने को मजबूर किया है और सरकारें बाध्य हुयी है, तो ऐसी स्थिति में मनरेगा योजना एक वरदान के रूप में सिद्ध हुयी है। इस प्रकार मनरेगा योजना चयनित क्षेत्र में कितनी सुदृढ़ता से अपनी भूमिका निर्वाह कर पायी है, यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है–

क्रम सं0	मनरेा वरदान/जीवनरेखा	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	24	80%
2	नहीं	6	20%
योग		**30**	**100%**

उपर्युक्त तालिका से यह सिद्ध होता है कि जब चयनित क्षेत्र में सहभागी श्रमिकों से यह जानने का प्रयास किया गया कि मनरेगा योजना कोविड–19 के समय क्या वास्तव में आपके लिये एक वरदान या जीवन रेखा के रूप में कार्यरत थी तो सहभागी उत्तरदाताओं में 24 ने अर्थात 80 प्रतिशत जनसंख्या ने यह स्वीकार किया कि मनरेगा योजना उनके लिये किसी वरदान से कम नहीं थी जबकि 6 अर्थात 20 प्रतिशत लोगों ने ऐसा स्वीकार नहीं किया।

इस प्रकार कोविड–19 के समय मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रभावी ढंग से कार्यरत रहीं।

सुझाव– कोविड–19 के दौर में मनरेगा योजना ने जिस प्रकार कार्य किया वह एक अविस्मरणीय प्रयास के रूप में रहा। इस योजना के कार्य दिवस एवं मजदूरी दोनों में बढ़ोत्तरी की नितान्त आवश्यकता है। जिससे एक वित्तीय वर्ष में परिवारों के कार्य दिवस को बढ़ाया जाये। जिससे मनरेगा उनके लिये स्थायी रोजगार की पहल साबित हो सके।

निष्कर्ष– मनरेगा योजना जिसके माध्यम से सौ दिन के काम को स्त्रोत पर कानूनी अधिकार बनाकर कई राज्यों में संकट से बाहर पलायन को रोकने में मदद की है, अगर इसे अभिनव और रणनीतिक रूप में उपयोग किया जाये तो ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति निर्माण और बुनियादी ढाँचे के विकास में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है इस प्रकार मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी निवारण हेतु सरकार द्वारा किये गये समस्त प्रयासों में एक बेहतरीन व सराहनीय कदम है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

- गाँधी महात्मा 'मेरे सपनो का भारत' नवजीवन प्रकाशन मन्दिर 'अहमदाबाद ''1999''
- गाँधी महात्मा ''हिन्द स्वराज'' साहित्य मण्डल नई दिल्ली।
- एक दशक की उपलब्धि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- द्रेज जीन : इंप्लायमेण्ट गारण्टी एक्ट राइट टु वर्क'' इन द बैटल फॉर इंप्लायमेण्ट गारण्टी रीतिका खेरा : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली।
- ग्रामीण विकास की समस्यायें एवं उसका समाधान : कुरूक्षेत्र वर्ष 52 अंक 3 ग्रामीण विकास योजना मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
- मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश–2013 ग्रामीण विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली।
- ओईसीडी (2018) भारत में कृषि नीतियों की समीक्षा। व्यापार और कृषि निदेशालय, कृषि समिति।